WWW.LIVELAW.IN

प्रेषक,

सुनील कुमार चतुर्थ,
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1. श्रीमान् अध्यक्ष
जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद।
2. श्रीमान् मंत्री,
जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद।

पत्रांक 1111 / XV   दिनांक 11.06.2020

विषय– कैन्टेनमेंट जोन में होने के कारण जनपद न्यायालय, इलाहाबाद परिसर बन्द किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान् मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1334 दिनांकित 11.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि मकान संख्या 319/268 स्थित पुराना कटरा प्रयागराज में कोविड 19 के चार पाजिटिव केस पाये जाने पर उक्त समस्त क्षेत्र को हाट स्पाट जोन घोषित किया गया है जिसकी परिधि में जिला न्यायालय, इलाहाबाद परिसर भी स्थित है। अतः जनपद न्यायालय, इलाहाबाद परिसर के हाट स्पाट जोन में स्थित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 03 June 2020 के अनुपालन में न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए जनपद न्यायालय इलाहाबाद परिसर बन्द किया गया है।

अतः आवश्यक सूचना आपके अवलोकन एवं जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद को सूचित किये जाने के उद्देश्य से सादर प्रेषित है।

भवदीय

(Sunil Kumar)
11.06.2020

(सुनील कुमार चतुर्थ)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

दि० 11.06.2020

2020/6/11 1